भा.कृ.अनु.प-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, खंडवा रोड, इंदौर-452001

फ़ाइल संख्या: प्रेस और प्रचार / प्रेस नोट / 2021 / 38 **दिनांक: 10.12.2021**

प्रेस नोट

10 दिसंबर 2021 को भा.कृ.अनु.प-आई.आई.एस.आर, इंदौर में आयोजित "पौधों की किस्म संरक्षण में कठिनाइयाँ एवं किस्म लक्षण विकास पर प्रभाव" पर वेबिनार

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पी.पी.वी. एवं एफ.आर. अधिनियम) को पौधों की किस्मों के संरक्षण, किसानों तथा पौधों के प्रजनकों के अधिकारों के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और पौधों की नई किस्मों के विकास व खेती को प्रोत्साहित करने के लिए पारित किया गया था। यह भारत की संसद से पास अधिनियम है जिसे 30 अक्टूबर 2001 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों की व्याख्या करने एवं प्रजनकों के अधिकारों को लागू करने के सकारात्मक पहलुओं पर जागरूकता फैलानें के लिए, लाभ साझा करने एवं लाइसेंस प्रावधान, मुआवजे और प्रक्रियात्मक विवरण तथा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के तरीको पर भा.कृ.अनु.प-आई-भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर द्वारा 10/12/2021 को एक ऑनलाइन वार्ता आयोजित की गई। डॉ आर. आर. हंचिनाल, पूर्व अध्यक्ष, पी.पी.वी. एवं एफ.आर प्राधिकरण तथा पूर्व कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ ने " पौधों की किस्म संरक्षण में कठिनाइयाँ एवं किस्म लक्षण विकास पर प्रभाव" विषय पर व्याख्यान दिया।

निदेशक भा.कृ.अनु.प.-आई.आई.एस.आर, डॉ नीता खांडेकर ने प्रख्यात व्यक्तित्व डॉ आर. आर. हंचिनाल का स्वागत किया तथा पी.पी.वी एवं एफ.आर. अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की खोज में वैज्ञानिकों और किसानों की रुचि के बारे में बताया। इस वार्ता में वर्चुअल व फिजिकल मोड के माध्यम से विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय एवं भा.कृ.अनु.प. संस्थानों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वेबिनार का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए पी.पी.वी. एवं एफ.आर. अधिनियम, 2001 के तहत किसी भी नई या मौजूदा पौधों की किस्मों को पंजीकृत करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों एवं किसानों को प्रोत्साहित करना है। डॉ. हंचिनाल ने किसानों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय किस्मों के संरक्षण में उनके योगदान को स्वीकार करके उनकों को पुरष्कृत करते है| किसानों को इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए किसी भी शुल्क की आवश्यकता नहीं है। पौधों की किस्मों का संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण किसानों को पादप जीनोम उद्धारकर्ता "किसान पुरस्कार" और "किसान पहचान" प्रदान करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत किसान गैर-ब्रांडेड तरीके से एक पंजीकृत किस्म के बीज सहित अपनी कृषि उपज को बचाने, उपयोग करने, बोने, फिर से बोने, या बेचने के हकदार हैं। खाद्यान फसलों के लिए संरक्षण की अवधि 15 वर्ष है, तथा पेड़ों के लिए 18 वर्ष है| पंजीकृत किस्म के दी गई शर्तों के तहत अपेक्षित प्रदर्शन प्रदान करने में विफल होने पर किसान मुआवजे का दावा कर सकते हैं। अन्त में, प्रश्न-उत्तर सत्र को शामिल करते हुए एक वैज्ञानिक बातचीत आयोजित की गई। वेबिनार का आयोजन डॉ गिरिराज कुमावत ने किया था और धन्यवाद प्रस्ताव डॉ संजय गुप्ता ने दिया था।

Zoom Meeting
DIRECTOR ICAR IISR I...
Ajay Kumar Singh...
M L Chhabra
View
Remove Pin
Recording...
LIVE
on YouTube
Participants (37)
Find a participant
ICAR-IISR Host (Host, me)
DIRECTOR ICAR IISR I... (Co-host)
R R HANCHINAL (Co-host)
Ajay Kumar Singh
Anuradha
Celia Chalam, ICAR-NBPGR
CoA JBP Fac M.K.Shrivastava
Dr L S Rajput Sci, ICAR IISR Indo...
Dr P S Deshmukh ICAR-CIRCOT
DR Vedna Kumari
Dr. Bhagya H P Scientist ICAR-BOPR
Dr. Harshiya Banu, Dharwad cen...
Dr. Mandakranta Bhattacharya
Dr. Moly Saxena
Invite
Mute All
Mute
Stop Video
Security
Participants
Chat
Share Screen
Reactions
Apps
More
End